



मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
-:: मंत्रालय ::-
वल्लभ भवन भोपाल

E-mail (us.mpwrdbpl@mp.gov.in)

पत्र क्र.-22(ए)/338/2018/एमपीएस/31 / 916

भोपाल दिनांक-25/5/2018

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
भोपाल।

विषय:- शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

₹000-00

शामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति शासन के आदेश दिनांक 16.05.2017 द्वारा
रू. 799.34 करोड़ की सैच्य क्षेत्र 40,000 हेक्टेयर हेतु प्रदान की गई थी।

2. सिंचाई से वंचित क्षेत्र को शामिल कर सैच्य क्षेत्र 40,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर एकजाई 80,000 हेक्टेयर किये जाने के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद् द्वारा परियोजना की सैच्य क्षेत्र 80,000 हेक्टेयर हेतु राशि रू. 1662.47 करोड़ (सोलह सौ बासठ करोड़ सैतालीस लाख) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

3. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. यह आदेश मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 22.05.2018 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

(विनोद सिंह टेकाम)

उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

प. क्र.-22(ए)/338/2018/एमपीएस/31 / 917
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक-25/5/2018

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त/नर्मदा-घाटी विकास प्राधिकरण/ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. मुख्य अभियंता, (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर।
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, उज्जैन।
5. निज सचिव, मान0 मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग
7. कार्यपालन यंत्री, गांधी सागर बांध संभाग, गांधीसागर।
8. ✓ वैब मैनेजर, पाइकू की ओर विभागीय वैबसाईड पर प्रकाशित करने हेतु।

उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग